मुख्य न्यायधीश टी.एस. ठाकुर, और न्यायधीश सूर्यकांत, के समक्ष

सीवरेज कर्मचारी यूनियन (रजि.) नगर निगम चंडीगढ़ एवं अन्य- याचिकाकर्ता

बनाम

यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य- प्रतिवादी

सी.डब्ल्यू.पी.नं. 2008 का 1983

10 दिसंबर, 2008.

भारत का संविधान, 1950–अनुच्छेद 21 एवं 226- पीआईएल- सीवरेज कर्मचारी दुर्दशा एवं दयनीय परिस्थितियों में काम कर रहे हैं -अधिकांश नगरपालिकाएं मलजल प्रणाली को साफ करने के लिए नवीनतम मशीनों से सुसज्जित नहीं हैं और भूमिगत सीवरेज लाइनों में प्रवेश करने की मजबूरी के तहत कार्यरत मैनुअल श्रमिक मैनहोल के माध्यम से और उन्हें साफ करें- सीवेज सफाई की प्रक्रिया में घातक दुर्घटनाओं के कारण सीवरेज श्रमिकों की मौत -भूमिगत सीवेज लाइन की सफाई के लिए श्रमिकों की काम करने की स्थिति मानवीय गरिमा के साथ पूरी तरह से असंगत और उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए खतरनाक - इन मुद्दों की जांच एक विशेषज्ञ समिति द्वारा की जानी चाहिए, जो सभी संबंधित एजेंसियों के साथ बातचीत करेगी और उपलब्ध स्थितियों के मूल्यांकन के बाद दीर्घकालिक और अल्पकालिक सुझावों की सिफारिश करेगी - उत्तरदाताओं को विशेषज्ञ समिति के गठन को अधिसूचित करने का निर्देश दिया गया है। .

यह निर्धारित किया गया कि इस जनहित याचिका में उठाए गए मुद्दे की गंभीरता, अर्थात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत मानवीय गरिमा के साथ सीवरेज श्रमिकों के जीने का अधिकार, किसी भी संदेह से परे है। हम समान रूप से संतुष्ट हैं कि याचिकाकर्ता एक ऐसे वर्ग के मुद्दे का समर्थन करने के लिए आगे आए हैं जो अपनी दयनीय कार्य स्थितियों के निवारण के लिए कम से कम वित्तीय अक्षमता से पीड़ित है।

(पैरा 9)

आगे निर्धारित किया गया की याचिकाकर्ताओं द्वारा उजागर की गई सीवरेज कर्मियों की दुर्दशा को राज्य सरकार/केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन के अधिकारियों की दया पर नहीं छोड़ा जा सकता है, जो, जैसा कि प्रतीत होता है, समय पर निवारण में विफल रहे हैं। इस पृष्ठभूमि में जब जटिल और वित्तीय स्थिति और बजटीय आवंटन, तकनीकी व्यवहार्यताएं, मैनुअल भागीदारी को कम करने

के लिए स्थानीयकृत यांत्रिक समाधान, आकस्मिक चिकित्सा सहायता सुविधाएं और एक स्वतंत्र और निष्पक्ष निकाय द्वारा निरंतर निगरानी के मिश्रित मुद्दे शामिल हैं, हम इसे उचित मानते हैं, की सबसे पहले इस मामले में शामिल मुद्दों या इससे जुड़े मुद्दों को अलग-अलग विशेषज्ञों के एक पर्यवेक्षक और संबंधित अधिकारियों द्वारा गहनता से जांचने की जरूरत है, जो अकेले ही मौजूदा व्यवस्था के मूल्यांकन को संसाधित करने और उन सुधारों की व्यवहार्यता जिन्हें लागू करने की आवश्यकता हो सकती है,की स्तिथि में होंगे। विशेषज्ञ निकाय सभी संबंधित एजेंसियों के साथ बातचीत करके और उपलब्ध स्थितियों के मूल्यांकन के बाद दीर्घकालिक और अल्पकालिक सुझावों की सिफारिश भी कर सकता है।

(पैरा 11)

श्रीमती वीना कुमारी, वकील, याचिकाकर्ता की ओर से।

ओंकार सिंह बटालवी, वकील, भारत संघ की ओर से।

सुश्री मधु दयाल, अतिरिक्त एजी, पंजाब, रामेश्वर मलिक,

अतिरिक्त एजी, हरियाणा, उत्तरदाताओं के लिए

न्यायधीश सूर्य कांत,

(1) यह रिट याचिका जनहित में दायर की गई है। पंजाब, हरियाणा और केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ में सीवरेज कर्मचारियों को जिन दुर्दशा और दयनीय स्थितियों के तहत काम करना पड़ता है, उस पर प्रकाश डालते हुए, याचिकाकर्ता-सीवरेज कर्मचारी संघ [पंजीकृत] नगर निगम, चंडीगढ़ और पंजाब के स्वैच्छिक स्वास्थ्य संघ, निम्नलिखित निर्देशों की मांग करते हैं:-

[i] किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी व्यक्ति को मैनहोल या सीवर में प्रवेश करने के लिए रोकने से उत्तरदाताओं के खिलाफ एक प्रतिबंध आदेश;

[ii] सीवेज सफाई का सारा काम यंत्रवत् किया जाना चाहिए;

[iii] जैसा कि गुजरात उच्च न्यायालय ने अपने आदेश, दिनांक 15 फरवरी, 2006 [अनुलग्नक पी-8] में निर्धारित किया है की यदि सीवेज कर्मचारी को आकस्मिक स्तिथि में मैन्होल में प्रवेश करना भी पड़े, तो उसे सुरक्षा वस्त्र और उपकरण उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

[iv] उत्तरदाताओं को सभी मौजूदा सीवरेज श्रमिकों को स्थायी और नियमित आधार पर वैकल्पिक काम प्रदान करने का निर्देश दिया जाए;

[v] उत्तरदाताओं को उन प्रत्येक सीवरेज कर्मचारियों के परिवारों को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया जाए, जिनकी सीवेज सफाई के लिए मैनहोल में प्रवेश करने के बाद मृत्यु हो गई है;

[vi] उत्तरदाताओं को सभी सीवरेज कर्मचारियों की व्यापक चिकित्सा जांच करने के लिए निर्देशित किया जाए और इसके बाद उन्हें मुफ्त में पर्याप्त चिकित्सा उपचार प्रदान करें और उन्हें उस पूरी अवधि के लिए पूर्ण वेतन और अन्य लाभ भी दें, जिसके लिए वे इलाज के दौरान काम करने में असमर्थ हैं;

[vii] उत्तरदाताओं को निर्देशित किया जाए की शिक्षा और संचार केंद्र द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार करे और उनकी पालना करे [अनुलग्नक पी -7);

[viii] उत्तरदाताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया जाए कि सभी सीवर-कर्मचारियों को कानूनों का लाभ मिले; जैसे [ए] भविष्य निधि अधिनियम ; [बी] ईएसआईसी ए सी टी; [सी] कामगार मुआवजा अधिनियम; [डी] ग्रेच्युटी का भुगतान अधिनियम ; [ई] बोनस का भुगतान अधिनियम ; [एफ] मातृत्व लाभ अधिनियम; [जी] बोनस का भुगतान अधिनियम; [ज] विकलांगता अधिनियम और [i] उनके शामिल होने की तारीखों से क्रमशः न्यूनतम मजदूरी अधिनियम।

[ix] उनके काम की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए सीवर-कर्मचारियों को विशेष वेतन/जोखिम भत्ते बढ़ाने के लिए एक निर्देश जारी किया जाए।;

[x] उत्तरदाताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए कि चिकित्सा और औद्योगिक कचरे को सीवेज में प्रवाहित करने से पहले उसका उचित उपचार किया जाए।

व्यापक चिकित्सा जांच और उपचार आदि के लिए अंतरिम निर्देश भी मांगे गए हैं।

(2) मैनुअल स्कैवेंजर्स के रोजगार और शुष्क शौचालयों के निर्माण [निषेध] अधिनियम, 1993 के तहत लगाए गए 'मैनुअल स्कैवेंजिंग' की सदियों पुरानी प्रथा पर प्रतिबंध या हमारे संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता की सामाजिक-बदनामता का उन्मूलन' होने के बावजूद, भारत में

सीवेज-सफाई कार्य को उन सामाजिक रूप से घृणित प्रथाओं के एक आधुनिक विस्तार के रूप में वर्णित किया गया है। अभिव्यक्ति 'सीवेज' का उपयोग आवासीय या गैर-आवासीय क्षेत्रों से प्राप्त ठोस और तरल मानव मल युक्त अपशिष्ट जल के लिए किया जाता है जो सीवर लाइनों में ले जाया जाता है। यह 'गंदे पनि ' से भिन्न है जिसमें घर के सिंक और शॉवर से निकलने वाला कचरा शामिल है लेकिन शौचालय का नहीं। पहले, मानव अपशिष्ट का निस्तारण उपकर तालाबों या निजी घरों में किया जाता था या बाल्टियों में भरकर नदियों में ले जाया जाता था। बरसात के मौसम में या तूफ़ान के दौरान कूड़ा-कचरा सड़कों पर या थोड़ी दूर फेंक दिया जाता था ताकि वह बारिश में बह जाए। इस तरह की अस्वच्छ स्थितियों के परिणामस्वरूप आपत्तिजनक दृश्य और गंध होते थे और बीमारियाँ होती थीं जिसके कारण मानव अपशिष्ट को पास के खेतों या नदियों में फेंकने के लिए एक 'अलग पाइप प्रणाली' की संकल्पना और स्थापना की गई। चूंकि खेतों या नदियों में छोड़े गए अनुपचारित मानव अपशिष्ट भूजल सहित आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण का कारण बनते हैं, इसलिए अब सीवरेज उपचार संयंत्रों को इन खतरनाक समस्याओं के एकमात्र प्रभावी समाधान के रूप में स्थापित किया जा रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे सीवरेज कचरा खेतों या नदियों में ले जाया जाए या इसके अंतिम निपटान के लिए सीवरेज उपचार संयंत्रों में, सीवेज को ले जाने के लिए भूमिगत पाइप या जल निकासी युक्त सीवेज प्रणाली की अपनी जटिलताएँ हैं।

(3) वास्तव में इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि शहरी क्षेत्रों में सीवरेज नेटवर्क घरेलू के साथ-साथ औद्योगिक अपशिष्टों के निपटान के लिए भी है, जिसमें ठोस अपशिष्ट, खाद और तूफानी पानी भी शामिल है। अध्ययनों से पता चला है कि घरेलू के साथ ही, औद्योगिक अपशिष्ट जल निकासी में कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, अमोनिया आदि जैसी जहरीली गैसें उत्पन्न करते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस कथित तौर पर सबसे खतरनाक है क्योंकि ऐसी हवा में एक या दो बार सांस लेने पर जिसमे इसका एक अंश भी मोजूद है, व्यक्ति को बेहोश कर सकता है और इसका लगातार संपर्क निश्चित रूप से घातक साबित हो सकता है। यह सच्चाई से कोसों दूर होगा यदि इससे इनकार किया जाए कि अधिकांश नगर पालिकाएं सीवेज सिस्टम को साफ करने के लिए नवीनतम मशीनों से सुसज्जित नहीं हैं और इसलिए, मजबूरी में मैन्युअल श्रमिकों को काम पर लगाया जाता है ताकि वह मैनहोल के माध्यम से भूमिगत सीवरेज लाइनें में प्रवेश करे और जहां भी लाइनें किसी भी कारण से अवरुद्ध हो जाती हैं, उन्हे साफ करे।

(4) इस याचिका में दिए गए कथनों को स्पष्ट रूप से पढ़ने पर जो शिक्षा और संचार केंद्र की " दिल्ली में सीवरेज श्रमिकों का स्वास्थ्य और सीवरेज अध्ययन " पर एक रिपोर्ट द्वारा विधिवत

समर्थित हैं, पंजाब के विभिन्न नगरपालिका क्षेत्रों में सीवरेज श्रमिकों की मौतों की रिपोर्ट करने वाली विभिन्न समाचार सामग्री और सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत याचिकाकर्ताओं द्वारा प्राप्त जानकारी भी जो सीवेज सफाई प्रक्रिया में घातक दुर्घटनाओं की पुष्टि करता है, यह निश्चित रूप से देखा जा सकता है कि भूमिगत सीवेज लाइनों की सफाई के लिए नियोजित लोगों की काम करने की स्थितियाँ पूरी तरह से मानवीय गरिमा के साथ असंगत हैं और उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए खतरनाक भी हैं । अध्ययन-रिपोर्ट स्पष्ट रूप से सुझाव देती है कि नालियों की सफाई के लिए नियुक्त कर्मचारी अपने कार्यस्थलों पर गैसों, गंदगी आदि के अत्यधिक संपर्क के कारण उच्च मृत्यु दर और रुग्णता से पीड़ित होते हैं। इसी तरह, प्राप्त की गई और रिकॉर्ड पर रखी गई प्रामाणिक जानकारी एक पट्टेदार भगवान के उन गरीब बच्चों की भयानक कहानियों को बताती है, जिन्होंने मैनहोल के अंदर अपनी जान गंवा दी, और अपने पीछे भूखे परिवारों को छोड़ गए। इसके अलावा, इनमें से कई कर्मचारी नियमित रूप से नियोजित भी नहीं हैं और 'अनुबंध' के आधार पर काम कर रहे हैं। कटने या चोट लगने से नेत्र रोग, त्वचा संबंधी रोग या श्वसन संबंधी समस्याएँ इन गरीब श्रमिकों में आम तौर पर प्रचलित हैं, जिनमें से अधिकांश समाज के गरीब तबके से हैं।

(5) याचिकाकर्ताओं द्वारा रिकॉर्ड पर रखी गई तस्वीरें देखकर हम भी आश्चर्यचकित हैं [अनुलग्नक P-1] जो स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि ये सीवरेज कर्मचारी अर्ध-नग्न स्थिति में मैनहोल में प्रवेश करते हैं जिससे वे सभी प्रकार की घातक बीमारियों या परिणामों से खुद को अवगत कराते हैं जो भूमिगत नालियाँ के अंदर उनका इंतजार करती हैं।

(6) पंजाब राज्य- प्रतिवादी संख्या 2 ने अकेले अपना प्रति-शपथ पत्र दायर किया है। यह स्वीकार करते हुए कि "कुछ अवसरों पर सीवेज प्रणालियों को चालू हालत में रखने के लिए सीवेज-मैनों को मैनहोल में प्रवेश करना पड़ता है", उन्होंने जवाबी हलफनामे में सभी नगर निगमों/परिषदों, नगर पंचायतों को निर्देश जारी करने का जोरदार दावा किया है जिसमे सीवरकर्मियों को वर्दी, गम बूट, चश्मा, टॉर्च, मास्क और दस्ताने आदि उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। इतना कहना पर्याप्त है कि पुष्टि की गई हताहतों की तस्वीरें और रिपोर्ट, स्पष्ट रूप से दूसरे प्रतिवादी द्वारा लिए गए पक्ष को झुठलाती है।

(7) याचिकाकर्ताओं ने आगे बताया है कि प्रतिवादी-राज्यों में प्रचलित प्रथा के अनुसार, एक सीवरेज कर्मचारी संकीर्ण और अंधेरे नाले में प्रवेश करने पर केवल एक ही उपकरण साथ लेकर जाता है, जिसका नाम है, नाकाबंदी को हटाने के लिए एक बांस की छड़ी। नाली के अंदर रहने वाला कर्मचारी

अपनी सांस रोक लेता है, अपनी आंखें बंद कर लेता है और बार-बार सिर के बल नीचे गिरता रहता है और उनमें से कुछ को 'गोताखोर' के रूप में भी जाना जाता है, जो नाकाबंदी का पता लगाने के लिए बड़ी पाइपलाइनों के माध्यम से तैरते हैं और उन्हे साफ़ करते हैं। इसके विपरीत, कहा जाता है कि अधिकांश विकसित देशों ने कई सुरक्षात्मक उपाय किए हैं, जिनमें दूषित पानी के संपर्क से बचने के लिए बन्नी सूट, एक श्वसन उपकरण, सीवरों को अच्छी तरह से प्रकाशित किया जाना और विशाल पंखे के साथ यांत्रिक रूप से हवादार बनाना शामिल है, ताकि इनमें ऑक्सीजन की कमी न हो। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, इनमें से कुछ सुरक्षा उपाय, जिनकी लागत भी अधिक नहीं है, नगर निगम अधिकारियों द्वारा नहीं उठाए जा रहे हैं, जिन्हें सीवरेज श्रमिकों के जीवन और सम्मान के लिए बहुत कम सम्मान या परवाह है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि अधिकांश सीवरेज कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले ही मर जाते हैं, क्योंकि उनके जीवन के दौरान होने वाली कई स्वास्थ्य समस्याओं ने उनके औसत जीवन काल को घटाकर केवल 45 वर्ष कर दिया है। इतना ही नहीं, ऐसे मामले को छोड़कर जहां एक श्रमिक की मैनहोल के अंदर मृत्यु हो जाती है, संबंधित नागरिक निकाय बीमारी या व्यावसायिक जोखिम के कारण मृत्यु पर कोई मौद्रिक मुआवजा नहीं देता है। याचिकाकर्ताओं ने उदाहरण के आधार पर चंडीगढ़ नगर निगम का विवरण देते हुए बताया है कि 10 लाख से अधिक की आबादी के लिए केवल 70 नियमित और 60 संविदा सीवरेज कर्मचारी हैं। आरोप है कि ठेकेदार के माध्यम से नियोजित श्रमिकों को केवल 2,500 प्रति माह रुपये का भुगतान किया जाता है और चंडीगढ़ में पंजाब के 80 रुपए की तुलना में सीवरेज कर्मचारी को 40 रुपए देय जोखिम/विशेष भत्ता दिया जाता है।

(8) याचिकाकर्ताओं ने गुजरात उच्च न्यायालय के 15 फरवरी, 2006 के डिवीजन बेंच के फैसले, परवीन राष्ट्रपाल बनाम मुख्य अधिकारी, कादी नगर पालिका एससीए 2001 का क्रमांक 8989 [अनुलग्नक पी-8] पर भरोसा जताया है, जिसमें अहमदाबाद नगर निगम में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों की दुर्दशा पर ध्यान देने के बाद उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने के लिए नगर निकायों और सरकार को कई निर्देश जारी किए गए थे। याचिकाकर्ता 2007 की डब्ल्यू.पी. [सी] संख्या 5232 [सीवरेज और सहयोगी श्रमिकों की गरिमा और अधिकारों के लिए राष्ट्रीय अभियान बनाम नगर निगम, दिल्ली अन्य] में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों पर भी भरोसा करते हैं। जिसमें भी एक समान मुद्दा उठाया गया है।

(9) पक्षों के विद्वान वकीलों को काफी हद तक सुनने के बाद और ऊपर उद्धृत गुजरात और दिल्ली उच्च न्यायालयों के फैसले/आदेशों सहित रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद, हम इस

विचार पर सहमत हैं कि इस जनहित याचिका में जिस मुद्दे की गंभीरता को उठाया गया है, अर्थात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत मानवीय गरिमा के साथ जीने का सीवरेज श्रमिकों का अधिकार, किसी भी संदेह से परे है। हम समान रूप से संतुष्ट हैं कि याचिकाकर्ता एक ऐसे वर्ग के हित का समर्थन करने के लिए आगे आए हैं जो कम से कम अपनी दयनीय कामकाजी परिस्थितियों के निवारण के लिए वित्तीय अक्षमता से पीड़ित है। हमने इस याचिका में मांगी गई राहत की प्रकृति और/या इस स्तर पर जारी किए जाने वाले उचित और उचित निर्देशों की प्रकृति पर भी ध्यानपूर्वक विचार किया है।

(10) पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के सभी नागरिक निकाय, इन कार्यवाहियों में पक्षकार नहीं है और न ही उचित अंतिम निर्देश जारी करने से पहले विचार किए जाने वाले कई कारकों पर प्रकाश डालने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री मौजूद है। जब तक यह ज्ञात न हो [i] कि दोनों राज्यों में विभिन्न नगर पालिकाओं में कितने सीवरेज कर्मचारी कार्यरत हैं; [ii] उनमें से कितने नियमित कर्मचारी या वर्क-चार्ज या संविदा पर नियोजित हैं; [iii] अन्य अर्धकुशल/कुशल कर्मचारियों की तुलना में उनकी सेवा शर्तें क्या हैं; [iv] प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा अपने जवाबी हलफनामे में इस्तेमाल की गई अभिव्यक्ति "कुछ अवसरों पर" का क्या अर्थ होगा, यानी, कितने सीवरेज श्रमिकों को सीवरेज प्रणाली की सफाई के लिए मैनहोल में प्रवेश करने की आवश्यकता है और एक महीने में कितनी बार; [v] वर्तमान में नगर निकायों द्वारा उन्हें क्या चिकित्सा सुविधाएं/सहायता प्रदान की जाती हैं; [vi] क्या उन्हे राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार वर्दी, चश्मा, गम बूट, मास्क ,दस्ताने, यदि कोई हों, उन्हें उपलब्ध कराए जा रहे हैं; [vii] प्रत्येक नागरिक निकाय की वित्तीय स्थिति क्या है; [viii] क्या वे सफाई कार्य में मैन्युअल भागीदारी को कम करने के लिए जेसीबी सकर, जेसीबी लोडर-सह-उत्खनन यंत्र, सक्शन मशीनों जैसे यांत्रिक बुनियादी ढांचे की व्यवस्था करने की स्थिति में हैं; [ix] क्या सीवरेज कर्मियों को दुर्घटना समूह बीमा सुविधा उपलब्ध करायी गयी? हमारा सुविचारित विचार है कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश, चंडीगढ़ दोनों को समग्र और संपूर्ण निर्देश जारी नहीं किए जा सकते।

(11) इसी तरह, हमारे मन में कोई संदेह नहीं है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उजागर की गई सीवरेज कर्मियों की दुर्दशा को राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेशों के अधिकारियों की दया पर नहीं छोड़ा जा सकता है जो की, जैसा कि प्रतीत होता है, समय पर निवारण करने में विफल रहा है। इस पृष्ठभूमि में जब जटिल और वित्तीय स्थिति और बजटीय आवंटन, तकनीकी व्यवहार्यताएं, मैनुअल भागीदारी को कम करने के लिए स्थानीयकृत यांत्रिक समाधान, आकस्मिक चिकित्सा सहायता सुविधाएं और एक स्वतंत्र और निष्पक्ष निकाय द्वारा निरंतर निगरानी के मिश्रित मुद्दे शामिल हैं, हम इसे

उचित मानते हैं, की सबसे पहले इस मामले में शामिल मुद्दों या इससे जुड़े मुद्दों को अलग-अलग विशेषज्ञों के एक पर्यवेक्षक और संबंधित अधिकारियों द्वारा गहनता से जांचने की जरूरत है, जो अकेले ही मौजूदा व्यवस्था के मूल्यांकन को संसाधित करने और उन सुधारों की व्यवहार्यता, जिन्हें लागू करने की आवश्यकता हो सकती है,की स्तिथि में होंगे। विशेषज्ञ निकाय सभी संबंधित एजेंसियों के साथ बातचीत करके और उपलब्ध स्थितियों के मूल्यांकन के बाद दीर्घकालिक और अल्पकालिक सुझावों की सिफारिश भी कर सकता है।

(12) पूरी प्रक्रिया को प्रभावी और त्वरित बनाने के लिए और फिर भी न्यूनतम लागत लगाने के लिए, हमने माननीय श्री न्यायमूर्ति एस.एस. कांग, जो जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, से अनुरोध किया है की इस नेक काम के लिए वह अपने कीमती समय का कुछ हिस्सा दान करें। उनके कद को जानते हुए, हमारे लिए माननीय श्री न्यायमूर्ति एस.एस. कांग को दिए जाने वाले मानदेय का निर्धारण करना उचित नहीं होगा। इसलिए, हम इसे माननीय श्री एस.एस. कांग के एकमात्र विवेक पर छोड़ते हैं कि वे मानदेय का निर्धारण करें और इसे राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेश, प्रशासन को सूचित करें, जो बिना किसी रोक-टोक के इस तरह के संचार को प्रभावी बनाएंगे। तथापि, यदि न्यायमूर्ति कांग ने कोई मानदेय नहीं लेने का फैसला किया है या जब तक उनके द्वारा ऐसा निर्णय नहीं लिया जाता है, हम उत्तरदाताओं को विविध खर्चों को सुविधाजनक बनाने और पूरा करने के लिए माननीय न्यायधीश श्री एस.एस. कांग को ,चंडीगढ़ में होने वाली प्रत्येक बैठक के लिए 7000 रुपये का भुगतान और चंडीगढ़ के बाहर होने वाली प्रत्येक बैठक के लिए 10000 रुपए का भुगतान करने के निर्देश देते हैं। उत्तरदाताओं को चंडीगढ़ से बाहर यात्रा के लिए आवश्यकता पड़ने पर एक आधिकारिक वाहन भी उपलब्ध कराना होगा। सभी नगर निगमों के नगर आयुक्तों और नगर परिषदों के कार्यकारी अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि जब भी आवश्यकता हो तो समिति के दौरे, ठहरने और निरीक्षण आदि के लिए पर्याप्त व्यवस्था करें और इस संबंध में यदि कोई चूक हो तो उसे गंभीरता से लिया जाएगा। इसी प्रकार, सचिवीय सहायता भी राज्य सरकारों और यू.टी. प्रशासन द्वारा प्रदान की जाएगी। समिति के अध्यक्ष के रूप में माननीय श्री न्यायमूर्ति एस.एस. कांग के अलावा, समिति में [i] पंजाब सरकार के प्रमुख सचिव, सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग; [ii] प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, जन स्वास्थ्य विभाग; [iii] सचिव, सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग, यू.टी., चंडीगढ़; [iv] श्री एस.एस. बिड्डा, मुख्य अभियंता, आपूर्ति और स्वच्छता विंग, सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा; [v] श्री महाराज सिंह, मुख्य अभियंता, सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग, पंजाब और [vi] डॉ. जे.पी. सिंह, संयुक्त

निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, पंजाब शामिल होंगे। समिति किसी अन्य सदस्य या विशेषज्ञ को सहयोजित करने के लिए स्वतंत्र होगी, जिसकी सेवाएं वह आवश्यक समझे।

(13) हमारे द्वारा इस आदेश के पैरा [10] में उठाए गए तथ्यात्मक मुद्दों से अवगत होने के बाद, विशेषज्ञ समिति से निम्नलिखित मुद्दों पर अपनी सिफारिशें करने का अनुरोध किया गया है:-

[i] सीवरेज श्रमिकों के स्वास्थ्य और संतुष्टि को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम;

[ii] सीवरेज श्रमिकों की मृत्यु और चोटों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं;

[iii] उनके रोजगार की स्थितियों में सुधार के लिए आवश्यक कदम, जिसमें उनके जोखिम/विशेष भत्ते में उपयुक्त संशोधन शामिल है, विशेष रूप से संविदा पर नियोजित श्रमिकों के लिए;

[iv] [ए] भविष्य निधि अधिनियम; [बी] ईएसआईसी अधिनियम; [सी] वर्कमेन मुआवजा अधिनियम; [डी] ग्रेच्युटी का भुगतान अधिनियम; [ई] बोनस अधिनियम का भुगतान; [एफ] मातृत्व लाभ अधिनियम; [जी] विकलांगता अधिनियम और [एच] न्यूनतम मजदूरी अधिनियम या कोई अन्य क़ानून; के तहत सीवरेज श्रमिकों को वैधानिक लाभ का विस्तार सुनिश्चित करने की पद्धति।

[v] रोजगार के दौरान सीवर-मेन की मृत्यु के बाद देय मुआवजा और अन्य अनुग्रह सुविधाएं, यदि कोई हो;

[vi] चरणबद्ध तरीके से मैन्युअल काम को समाप्त करने और इसे मशीनीकृत सीवर सफाई के साथ बदलने के लिए उठाए जाने वाले कदम;

[vii] प्रत्येक नगर पालिका से उन सीवरेज श्रमिकों का विवरण लेना जिनकी मृत्यु मैन्होल के अंदर, यदि हुई हो, या कर्तव्यों की खतरनाक प्रकृति से संबंधित कारणों के कारण हुई है और फिर ऐसे मृत श्रमिकों के आश्रित परिवार के सदस्यों को देय मुआवजे की राशि निर्धारित करना;

[viii] हवाई यात्रा उपकरण, पूर्ण चेहरा कवर सुरक्षा मास्क, सुरक्षा बेल्ट, टॉर्च, सुरक्षा चश्मा, सुरक्षा हेलमेट गम बूट, डाइविंग सूट, एयर ब्लोअर और एग्जॉस्ट आदि जैसे उपकरणों का अनिवार्य नुस्खा।

[ix] संबंधित नगर पालिका की कीमत पर सामान्य बीमा योजना;

[x] अन्य बुनियादी सुविधाओं जैसे आवास, पीने का पानी और सीवरमैनों को धुलाई की सुविधा के लिए प्रावधान और साथ-साथ दुकानों/सेवा केंद्रों पर भी;

[xi] किसी भी व्यावसायिक बीमारी आदि से पीड़ित पाए जाने वाले श्रमिकों के लिए मुफ्त चिकित्सा जांच और उपचार, जब तक कि वह ठीक न हो जाए;

[xii] सीवरमैनों के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल प्रशिक्षित व्यक्तियों को ही गहरे मैनहोल में प्रवेश की अनुमति है और वह भी अधिकतम निर्धारित अवधि से अधिक नहीं।

(14) तदनुसार हम उत्तरदाताओं को निर्देश देते हैं कि वे ऊपर उल्लिखित विशेषज्ञ-समिति के गठन को इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से एक माह की अवधि के भीतर औपचारिक रूप से अधिसूचित करें। हम समिति से अनुरोध करते हैं कि वह सभी मुद्दों की सहानुभूतिपूर्वक जांच करे और नागरिक निकायों की वित्तीय स्थितियों को ध्यान में रखते हुए और दोनों राज्य सरकारों और यू.टी., प्रशासन को यथाशीघ्र उचित सिफारिशें करे। इसकी सराहना की जाएगी अगर ये सिफारिशें समिति के औपचारिक गठन की तारीख से पांच महीने की अवधि के भीतर की जाती हैं। हम पंजाब, हरियाणा और यू.टी. राज्यों को भी निर्देशित करते हैं की वह प्रशासन समिति की सिफ़ारिशों पर विचार करे और उन्हें लागू करे। हालाँकि, यदि राज्य सरकारें/यू.टी. प्रशासन को समिति द्वारा की गई किसी भी एक या अधिक सिफारिशों को लागू करना मुश्किल लगता है, ऐसी सिफारिशों में उपयुक्त संशोधन का सुझाव देते हुए इस न्यायालय के समक्ष एक उचित आवेदन दायर करने के लिए वह स्वतंत्र होगा। राज्य सरकारें और यू.टी. प्रशासन समिति की सिफारिशों पर उनके प्राप्त होने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर निर्णय लेगा।

(15) विशेषज्ञ समिति द्वारा किए जाने वाले व्यय के संबंध में, इसे क्रमशः 50:40:10 के अनुपात में पंजाब, हरियाणा और यू.टी., चंडीगढ़ राज्यों द्वारा आनुपातिक रूप से साझा किया जाएगा, सिवाय इसके कि समिति के अध्यक्ष को उपलब्ध कराए जाने वाले वाहन की व्यवस्था संबंधित राज्य सरकार जिसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में समिति का दौरा करना आवश्यक है, वह उपलब्ध कराएगी।

(16) तदनुसार निपटारा किया गया। इस आदेश की एक प्रति विद्वान महाधिवक्ता को; पंजाब और हरियाणा राज्यों और चंडीगढ़ प्रशासन के वरिष्ठ स्थायी वकील को जानकारी और आवश्यक अनुपालन के लिए सौंप दी जाए।

अस्वीकरण :- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उदेश्य के लिए इसके उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उदेशयों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उदेश्य के लिए उपयुक्त होगा।

सरू गोयल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

पानीपत, हरियाणा